## निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 102 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

**कार्यालय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी** के माह 01/2018 से 12/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर॰ के॰ सिन्हा एवं श्री संजीव कुमार ,सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, एवं श्री आलोक चौधरी लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 14/01/2019 से 17/01/2019 तक सम्पादित किया गया।

### भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री आर. एन. यादव , एवं श्री राजेश डोभाल सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 08/01/2018 से 11/01/2018 तक श्री नीरज चुंगु वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 08/2016 से 12/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।
2. इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: नैनीताल जिले के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग इकाईयों का प्रशासनिक एवं पर्यवेक्षण कार्यालय ।

   (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(` लाख में)

| वर्ष | प्रारम्भिक अवशेष | | स्थापना | | गैर स्थापना | | अवशेष | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | स्थापना | | गैर स्थापना | |
| | स्थापना | गैर स्थापना | आवंटन | व्यय | आवंटन | व्यय | आधिक्य (+) | बचत (-) | आधिक्य (+) | बचत (-) |
| 2016-17 | - | - | 87.93 | 0.00 | | | | | | |
| 2017-18 | - | - | 170.70 | 170.70 | | | | | | |
| 2018-19 | | | 146.11 | 124.48 | | | | 21.63 | | |

(ब) केन्द्र पुरोनिर्धारित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

| वर्ष | योजना का नाम | प्रारम्भिक अवशेष ` | प्राप्त ` | व्यय अधिक्य (+) ` | बचत (-) ` |
|---|---|---|---|---|---|
| **शून्य** | | | | | |

3. इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "सी" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

   1. सचिव, लोक निर्माण विभाग
   2. प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
   3. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी ।

(VI) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **कार्यालय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(VII) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

## <u>भाग-2 (ब)</u>

**प्रस्तर-1 : समय-वृद्धि के प्रकरण प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष के निर्देश का अनुपालन नहीं किया जाना।**

लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा निर्देश दिया गया था कि (11/2016, 01/2017, 02/2017, 01/2017, 03/2017, 04/2017) वर्षा काल ठंड होना तथा क्वेरी बन्द होने के आधार पर मुख्य अभियंता/ अधीक्षण अभियंता के द्वारा किसी कार्य में हुई देरी का प्रकरण आधारहीन है और यह भी व्यक्त किया गया था कि कृत्य ठेकेदार को बचाने का एक प्रयास है । इसके साथ ही, प्रमुख अभियंता के द्वारा 0.10 प्रतिशत से 0.15 प्रतिशत के अर्थदण्ड के साथ समय वृद्धि के प्रकरण को अनुबंध की शर्तानुसार उचित नहीं माना गया था और समयान्तर्गत कार्य को संपादित नहीं किया जाना कार्य सम्पादन में Poor-planning का द्योतक है । इसी क्रम में प्रमुख अभियंता के पत्र दिनांक 17.04.18 के द्वारा एक प्रकरण में संस्तुत 0.15 प्रतिशत के क्षतिपूर्ति को परिवर्तित कर 0.30 प्रतिशत कर दिया गया था।

उपरोक्त निर्देश के क्रम में कुछ नमूना संचिकाओ के अध्ययन से ज्ञात हुआ था कि कुछेक प्रकरणो को छोड़कर अधिकतर प्रकरणों (समय वृद्धि के साथ अर्थदण्ड आरोपित करने के मामलों में) में समय वृद्धि या तो 0.10 प्रतिशत के साथ प्रदान की गई थी या फिर बिना क्षतिपूर्ति के समय-वृद्धि प्रदान दी जाती रही है । इस प्रकार, प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष का निर्देश (07.04.2017 एवं 03.01.2017) में निहित मूल भावना का अनुपालन नहीं किया गया था।

उपरोक्त को इंगित किए जाने पर, प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी, द्वारा अवगत कराया गया कि सभी प्रकरणों (केसों) में अनुबंध की शर्त एवं प्रमुख अभियंता के पत्रों का अनुपालन किया जाता है परन्तु स्थानीय परिस्थितियों के कारण एवं कार्य में हुई बाधा के अनुसार ही अर्थदण्ड आरोपित किया जाता है ।

कार्यालय मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी का उत्तर तथ्य से परे है क्योंकि नमूना जांच में ऐसे प्रकरण प्रकाश में आये है जो यह इंगित करता है कि प्रमुख अभियंता के निर्देश का अनुपालन नहीं किया गया है जो कि अनुपालन की अपर्याप्तता को दर्शाता है ।

अत: प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है ।

**भाग - 03**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या | भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या |
|---|---|---|
| 70/2017-18 | - | 01 |

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण | अनुपालन आख्या | लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|

**भाग-IV**

**इकाई के सर्वोत्तम कार्य**

शून्य

**भाग-V**

**आभार**

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः ........**
2. **सतत् अनियमितताएः**

   (i) शून्य
3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिशासी अभियन्ताओ द्वारा खण्ड का कार्यभार वहन किया गया**

| क्रम सं0 | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1. | श्री बी. सी. बिनवाल | 05/17 से 31/03/18 तक। |
| 2. | श्री के. पी. जोशी | 01/04/18 से अब तक। |

4. **विगत सम्प्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खंडीय लेखाधिकारी खण्ड से संबध्द रहे।**

   **...........**

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी** को इस आशय से प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, कार्यालय सह आवासीय परिसर, पोस्ट ऑफिस-कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाये ।

**सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी**

**आर्थिक क्षेत्र- II**